ओएनजीसी ONGC

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

ग्रीन हिल्स, तेल भवन, देहरादून - 248 003

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विज्ञापन सं० 8/2022 (आर एण्ड पी)

ई–1 स्तर पर कार्यपालकों (एग्जीक्यूटिव्स) की भर्ती

विज्ञापन सं. 8/2022 (आर एण्ड पी)

ऑयल ऐण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), एक "महारत्न" सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और भारत का ध्वजवाहक ऊर्जा प्रमुख भारत और विदेशों में तेल और गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन में कार्यरत है। यह ऊर्जा में एक वैश्विक दावेदार है, जिसका भारत के घरेलू तेल और गैस उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत का योगदान है। वर्तमान में, ओएनजीसी इसकी अनुषंगी "ओएनजीसी विदेश" के माध्यम से 20 देशों में 10 बिलियन यूएसडी से अधिक के समुद्रपारीय निवेश के साथ भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट है।

ओएनजीसी, विकास पर केंद्रित पेशेवर तरीके से प्रबंधित एक संगठन, योग्यता–उन्मुख प्रगति के अवसर के साथ देश में कम्पनी की लागत (सीटीसी) की दृष्टि से सर्वोत्तम वेतन पैकेज प्रदान करता है। ओएनजीसी को वित्त और मरीन विधाओं में संस्थान के साथ श्रेणी 1 कार्यपालक (ई–1 लेवल) के रूप में जुड़ने के लिए श्रेष्ठ शैक्षिक रिकार्डधारी होनहार, ऊर्जावान तथा युवा भारतीय नागरिकों की आवश्यकता है। चुने गए अभ्यर्थी संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार भारत अथवा विदेश में कहीं भी नियुक्त किए जा सकते हैं।

1. वेतनमान, पारिश्रमिक एवं अन्य वित्तीय लाभ

क्र.सं.	पद स्तर	मूल वेतनमान (₹)	भत्ते
1.	ई1	60,000 – 1,80,000	मूल वेतन और 3% की दर पर वार्षिक वेतनवृद्धि के अतिरिक्त, कर्मचारी कैफेटीरिया एप्रोच के तहत मूल वेतन के 35% की दर पर भत्ते, महंगाई भत्ता, एचआरए/कम्पनी आवास, अंशदायी भविष्य निधि, वाहन अनुरक्षण, अवकाश नकदीकरण, कार्यप्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी), स्वयं और आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभ स्कीम और संयुक्त सामाजिक सुरक्षा स्कीम इत्यादि का कम्पनी के नियमों के अनुसार हकदार है।

2. पदों का नाम, ग्राह्यता मानदंड और रिक्ति

क्र.सं.	पद	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम अनुभव	पदों की संख्या						पीडब्ल्यूबीडी हेतु उपयुक्त चिन्हित	पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण				
				यूआर	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	योग		ए	बी	सी	डी/ई	योग
1.	वित्त एवं लेखा अधिकारी	ग्रेजुएट डिग्री के साथ आईसीडब्ल्यूए/सीए; या न्यूनतम 60% अंक के साथ एमबीए (फाईनेंस में स्पेशलाइजेशन); या न्यूनतम 60% अकों के साथ पीजीडीएम/एमबीए (केवल IIMs से)	-	22 (1*)	11	7	3	5	**48**	संवर्ग ए(बी,एलवी); बी (डी, एचएच); सी (ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएल ओए, सीपी,एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई); ई(ए से सी तक का संयोजन)	1	3 (1^)	1	1	6
2.	वित्त एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय कार्यपालक)	इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसी एसआई) की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका होना चाहिए तथा आईसीएसआई का एसोसिएट/फेलो मेम्बर होना चाहिए।	कम्पनी सेक्रेटिएट में योग्यता के पश्चात न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव	3	-	-	1#	-	**4**	संवर्ग ए(बी,एलवी); बी (डी,एचएच); सी (ओए, बीए, ओएल,बीएल,ओएएल, बीएल ओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई); ई(ए से सी तक का संयोजन)	-	-	-	-	-
3.	मरीन अधिकारी	परिवहन मंत्रालय का मास्टर फॉरेन गोइंग का सक्षमता का प्रमाणपत्र	सेकंड ऑफीसर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। मर्केण्टाइल मरीन विभाग/नौपत्तनों और सीमाशुल्क नियमों एवं विनियमों का अच्छा जानकार होना चाहिए।	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	योग			**28**	**12**	**7**	**4**	**5**	**56**		**1**	**3**	**1**	**1**	**6**

* – 1/2019 (आर ऐण्ड पी) भर्ती चर्या की अग्रनीत भरी नहीं गई रिक्तियां।

– 1/2015 (आर ऐण्ड पी) भर्ती चर्या की अग्रनीत भरी नहीं गई रिक्तियां।

^ – विज्ञापन सं. 1/2019 (आर ऐण्ड पी) की अग्रनीत भरी नहीं गई आरक्षित रिक्तियां। यदि संबंधित मानक दिव्यांगता के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो अन्य मानक दिव्यांगता के पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थी उपयुक्त चिह्नित मानक दिव्यांगता के मध्य संवर्ग के अंतरपरिवर्तन के माध्यम से विचारित किए जा सकते हैं और यदि मानक दिव्यांगता के मध्य संवर्ग के अंतरपरिवर्तन द्वारा भी पीडब्ल्यूबीडी के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो अग्रनीत रिक्तियां मानक दिव्यांगता से इतर व्यक्तियों द्वारा भरी जा सकती हैं।

क्र.सं.	शब्द संक्षेप	पूर्ण रूप
1.	पीडब्ल्यूबीडी	मानक दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति
2.	संवर्ग ए	अंधता और न्यून दृष्टि
3.	संवर्ग बी	बधिर और श्रवण बाधित
4.	संवर्ग सी	अंग–चालन अक्षमता जिसमें प्रमस्तिष्कीय घात, उपचारित कुष्ठ, वामनता, अम्लाघात पीड़ित और पेशीय विकार सम्मिलित हैं
5.	संवर्ग डी	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट ग्रहण दिव्यांगता और मानसिक रोग
6.	संवर्ग ई	क्लॉज (ए) से (डी) तक के अधीन व्यक्तियों में से बहुलक दिव्यांगताएं
7.	बी, एलवी	अंधता और न्यून दृष्टि
8.	डी, एचएच	बधिर और श्रवण बाधित
9.	ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई	एक बाजू, दोनों बाजू, एक टांग, दोनों टांगें, एक बाजू एवं एक टांग, दोनों टांगें और एक बाजू, प्रमस्तिष्क घात, उपचारित कुष्ठ, वामनता, अम्लाघात पीड़ित, पेशी विकार
10.	सीबीटी	कम्प्यूटर आधारित परीक्षा
11.	आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान

नोट :

क) संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित विधि के माध्यम से ऑफर किए गए पाठ्यक्रम, केन्द्र सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं हेतु नियुक्ति के लिए संबंधित सांविधिक निकायों जैसेकि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू)/यूजीसी/एआईसीटीई इत्यादि द्वारा स्वीकृत/मान्यताप्राप्त होने चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने अपनी योग्यता दूरस्थ–शिक्षा/अंश–कालिक विधि से प्राप्त की है, वे भी आवेदन करने हेतु ग्राह्य हैं परंतु शर्त यह है कि उनकी योग्यता केन्द्र सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं हेतु नियुक्ति के लिए संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा मान्यताप्राप्त होनी चाहिए।

ख) ऊपर तालिका में वर्णित योग्यताएं अलंघ्य हैं। कोई समतुल्य योग्यताएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। पीजी डिप्लोमा, जबतक कि स्पष्ट रूप से निर्दिशत नहीं किया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के समतुल्य स्वीकार्य नहीं होगा।

ग) जहां कहीं डिग्री में सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई/डीजीपीए अथवा वर्ण ग्रेड प्रदान किया जाता है, ऑनलाइन आवेदन में अंको का समतुल्य प्रतिशत संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार निदर्शित किया जाना चाहिए। कृपया इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र भी विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त करें, जो साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान में सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई/डीजीपीए अथवा वर्ण ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है, तब 10 अंक मान पर न्यूनतम 6 को 60 प्रतिशत माना जाएगा।

घ) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि तक अनिवार्य योग्यता प्राप्त कर चुका होना चाहिए।

ङ) जहां इस विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद संवर्ग (संवर्गों) के लिए आरक्षित नहीं हैं, तो आरक्षित संवर्ग का अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अनारक्षित संवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों की पूर्ति करता/करती है। उसको चयन प्रक्रिया में अनारक्षित संवर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा।

...शेष अगले पृष्ठ पर

''ओएनजीसी किसी भी प्रकार की छपाई त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यदि कोई हो''। किसी भी प्रकार की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

3. आयु सीमा (आयु संबंधी छूट सहित)

संवर्ग	अधिकतम आयु (वर्ष)
अनारक्षित	30
ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)	33
एससी/एसटी	35
पीडब्ल्यूबीडी	40 (ओबीसी के लिए 3 वर्ष तथा एससी/एसटी के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट)
पूर्व सैनिक*	35
विभागीय अभ्यर्थी#	आयु में छूट ओएनजीसी में प्रदान की गई सेवा की सीमा तक प्रदान की जाएगी

*# पूर्व सैनिक अभ्यर्थी ग्राह्यता की शर्त के अधीन 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं तथा आरक्षित संवर्ग के कारण कोई संचयी छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

*# ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो पूर्व सैनिक भी हैं, उनको आयु संबंधी छूट पूर्व सैनिक अथवा विभागीय अभ्यर्थी में किसी एक, जो अधिकतम है, के अनुसार प्रदान की जाएगी।

नोट :

i) एससी/एसटी/ओबीसी के रूप में आरक्षण के इच्छुक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय पर, जाति प्रमाणपत्र, पदनामित प्राधिकारी से भारत सरकार के अधीन पदों हेतु नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति, अधिनियम/आदेश स्पष्ट निर्दिशित किया जाना चाहिए, जिसके अधीन जाति एससी/एसटी/ओबीसी के तहत मान्य है तथा अभ्यर्थी ग्राम/उपनगर का साधारण निवासी है।

ii) सरकारी संस्थान में रोजगार के लिए एससी/एसटी/ओबीसी हेतु जाति प्रमाणपत्र तथा पीडब्ल्यूबीडी हेतु अशक्तता प्रमाणपत्र का निर्धारित प्रारूप ऑनलाइन आवेदन साइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

iii) ईडब्ल्यूएस के अधीन आरक्षण के इच्छुक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप तथा सक्षम प्राधिकारी का वर्णन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं. 36039/1/2019—एस्ट (आरईएस.) दिनांकित 31—10—2019 में किया गया है।

iv) ओबीसी अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि वे समय समय पर सरकार से नवीनतम नॉन—क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र के धारक हैं। जाति के नाम में कोई भी वैभिन्य स्वीकार नहीं किया जाएगा।

v) अभ्यर्थी द्वारा इस परीक्षा के लिए उसके ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में पहले निदर्शित की गई संवर्ग स्थिति में साधारणतः कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

4. चयन प्रक्रिया :

(क) अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट सूची सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर, सामा./ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों की शर्त और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों की शर्त के अधीन, रिक्तियों की संख्या के 1 : 5 के अनुपात में तैयार की जाएगी। लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाएंगे।

(ख) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन निम्नलिखित प्राचलकों के आधार पर होगा – शैक्षिक योग्यता ; कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में प्रदर्शन तथा साक्षात्कार में प्रदर्शन। प्राचलकों हेतु निम्नवर्णित गुरुताएं निर्दिष्ट की जाएंगी :

प्राचलक	अंक
सीबीटी	60
योग्यता	25 (20 अंक अनिवार्य योग्यता हेतु तथा संबंधित विषय में उच्चतर योग्यता हेतु 05 अंक तक)
साक्षात्कार	15
योग	**100**

(ग) सभी पांच विधाओं के लिए विधा संबंधी उच्चतर योग्यता में 05 अंक निम्नलिखित विधि में प्रदान किए जाएंगे :

पद	विधा संबंधी उच्चतर योग्यता एवं अंकों का ब्योरा
वित्त एवं लेखा अधिकारी	पीएच. डी. – 05 अंक
वित्त एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय कार्यपालक)	पीएच. डी. – 05 अंक
मरीन अधिकारी	परिवहन मंत्रालय का एक्स्ट्रा मास्टर की सक्षमता का प्रमाणपत्र – 05 अंक

(घ) चयनित होने के क्रम में, अभ्यर्थी को योग्यता मानदंडो की पूर्ति के अतिरिक्त, सीबीटी में योग्यता प्राप्त करनी होगी और तदनंतर पुनः साक्षात्कार में अलग से योग्यता प्राप्त करनी होगी। साक्षात्कार में अर्हता के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस तथा ओबीसी अभ्यर्थियों को कम से कम 60 प्रतिशत अंक अर्थात 15 में से 09 अंक प्राप्त करने होंगे तथा एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्थात 15 में से 06 अंक प्राप्त करने होंगे।

4. योग्यताक्रम सूची को अंतिम रूप दिया जाना

क. साक्षात्कार में योग्य पाए जाने अभ्यर्थी को योग्यताक्रम सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।

(ख) नियुक्ति हेतु प्रस्ताव अभ्यर्थी द्वारा योग्यता, सीबीटी और साक्षात्कार में प्राप्त किए गए कुल अंकों की गुरुता के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूची में उसके स्थान के आधार पर दिया जाएगा।

ग. दो अभ्यर्थियों के बीच कुल अंक समान होने की स्थिति में, प्रदर्शन (सीबीटी स्कोर की गुरुता) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा तथा यदि प्रदर्शन में भी समान अंक हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा।

(घ) चयन के मामलों में विभागीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि अन्य चीजें जैसेकि योग्यता, ग्राह्यता और चयन मानदंड इत्यादि वही रहेंगे।

(ङ) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके द्वारा ओएनजीसी कर्मचारी चिकित्सा परीक्षा नियमावली, 1996 के अधीन निर्धारित मानकों के अनुसार कम्पनी की चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन होगी। नियमों का विस्तृत विवरण ओएनजीसी की वेबसाइट **www.ongcindia.com** पर उपलब्ध है।

6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का प्रारूप

क. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का प्रारूप निम्नानुसार होगा :

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	संबंधित विषयक्षेत्र।	80
2	सामान्य जागरूकता	40
3	अभिरूचि परीक्षा (जिसमें वाचन शक्ति, मौखिक/अ—मौखिक तर्कण, अंकीय योग्यता/मात्रात्मक अभिरूचि, डेटा व्याख्या इत्यादि सम्मिलित हैं)	30
	योग	**150**

ख. परीक्षा प्रश्नपत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे तथा 3 घंटे की अवधि होगी। तथापि, पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घंटा का क्षतिपूर्ति समय दिया जाएगा।

ग. लिखित परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे।

घ. सीबीटी के लिए परीक्षा केन्द्र निम्नानुसार होंगे :

क्र.सं.	नगर	क्र.सं.	नगर
1.	दिल्ली जिसमें रा.रा.क्षे. सम्मिलित है	2.	कोलकाता
3.	मुम्बई	4.	चेन्नई
5.	अहमदाबाद	6.	हैदराबाद

अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र के लिए प्राथमिकता क्रम देना होगा। बाद में परीक्षा केन्द्र के प्राथमिकता क्रम में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। तथापि, प्रबंधन का इसके अपने विवेकानुसार उपरिवर्णित परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन करने तथा परीक्षा नगरों/केन्द्रों की संख्या बढ़ाने अथवा घटाने का अधिकार सुरक्षित है।

7. आवेदन कैसे करें

क) ग्राह्य तथा इच्छुक अभ्यर्थियों को **www.ongcindia.com** पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण साइट **18.10.2022** से **07.11.2022** तक खुली रहेगी। आवेदन की अन्य कोई विधि, पुनश्च अन्य कोई विधि स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) यदि आरक्षित संवर्ग के लिए कोई पद नहीं है, तो आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित पदो के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तथापि ऐसे मामलों में आयु छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

(ग) अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर अपना आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण/प्रस्तुत करने से पहले निम्न पहले से तैयार रखने चाहिए :

i) मोबाइल नंबर एवं ई—मेल आईडी, जिसमें, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए, ओटीपी मेजा जाएगा।

ii) अभ्यर्थी की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो की स्कैन की गई प्रति, फोटो की पृष्ठभूमि सफेद होनी चाहिए (आकार 20—50 केबी के बीच केवल जेपीईजी/जेपीजी प्रारूप में) तथा फोटो के ठीक नीचे सफेद पृष्ठभूमि पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किए जाने चाहिए (आकार 10—20 केबी के बीच केवल जेपीईजी/जेपीजी प्रारूप में)।

iii) योग्यता प्रमाणपत्र

iv) अनुभव प्रमाणपत्र

v) यदि एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी संवर्ग से संबंधित हैं, तो समुदाय, राज्य एवं जिला संबंधी विवरण भरने के लिए जाति/ पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र।

(घ) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उनकी घोषणा के आधार पर सीबीटी में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश पत्र जारी करने मात्र का अभिप्राय यह नहीं होगा कि अभ्यर्थी की ग्राह्यता की पुष्टि की जा रही है। अभ्यर्थी की ग्राह्यता की वास्तविक पुष्टि व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय पर प्रलेख सत्यापन के पश्चात की जाती है।

(ङ) पंजीकृत अभ्यर्थियों के साथ सभी पत्राचार केवल पंजीकृत ई—मेल तथा मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपनी पंजीकृत ई—मेल तथा मोबाइल कम से कम एक वर्ष तक सक्रिय रखना होगा।

च) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद उसमें किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(छ) पंजीकरण शुल्कः भिन्न संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	संवर्ग	पंजीकरण शुल्क (₹)
1.	सामा./ओबीसी/ईडब्ल्यूएस	300*
2.	एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी	कोई शुल्क नहीं

*पंजीकरण शुल्क में बैंक शुल्क सम्मिलित हैं।

- पंजीकरण शुल्क अ—प्रतिदेय है।
- पंजीकरण शुल्क पंजीकरण प्रपत्र में दिए गए एसबीआई ई—पे लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है।
- ओएनजीसी के विभागीय अभ्यर्थियों को भी लागू पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। तथापि, वह प्रतिदेय होगा।

(ज) अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। एक अभ्यर्थी से एक से अधिक आवेदन की स्थिति में नवीनतम आवेदन अंतिम मान्य होगा तथा पुराने आवेदन अस्वीकृत होंगे।

(झ) परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि के संबंध में सभी जानकारी ओएनजीसी की वेबसाइट – **www.ongcindia.com** पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी परीक्षा प्रवेश पत्र/कॉल लेटर साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा कोई पृथक प्रवेश पत्र/साक्षात्कार कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। ओएनजीसी अवैध अथवा गलत ई—मेल आईडी/मोबाइल फोन नंबर अथवा ई—मेल्स की डिलीवरी स्पैम/बल्क मेल फोल्डर को किए जाने के कारण प्रेषित ई—मेल/एसएमएस की किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

ञ) जैसे और जब भी मांगे जाने पर प्रमाणपत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराने तथा प्रवेशपत्र/साक्षात्कार कॉल लेटर डाउनलोड एवं प्रिन्ट करने की जिम्मेदारी एकमात्र रूप से अभ्यर्थी की होगी।

(ट) सभी अजा./अजजा/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थीयों को सीबीटी एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लेने के लिए और सभी सामा./ओबीसी/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लेने के लिए परीक्षा नगर को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान से आने जाने के लिए लघुत्तम मार्ग का एक व्यक्ति का द्वितीय श्रेणी का किराया (स्लीपर प्रभार/आरक्षण प्रभार सहित, यदि अदा किया गया है) अथवा भुगतान किया गया वास्तविक किराया, जो भी कम है, अदा किया जाएगा।

8. महत्वपूर्ण तिथियां :

क्र.सं.	गतिविधि	दिन एवं तिथि
1.	आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की आरंभ तिथि	**18.10.2022 (मंगलवार)**
2.	आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि	**07.11.2022 (सोमवार)**

9. सामान्य अनुदेश :

(क) सभी आवेदकों को पद हेतु अनुबद्ध अनिवार्य अपेक्षाएं तथा इस विज्ञापन में अनुबद्ध अन्य शर्तें

...शेष अगले पृष्ठ पर

अनिवार्य रूप से पूरी करनी होंगी। उनको सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले अपनी पूर्ण संतुष्टि कर लें। ग्राह्यता के संबंध में सलाह हेतु कोई पूछताछ स्वीकार्य नहीं होगी।

(ख) आवेदकों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मैनुअल/कागज पर आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) संवीक्षण और चयन अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण पर आधारित होगा ; अतः यह आवश्यक है कि आवेदक केवल सटीक, पूर्ण एवं सही जानकारी प्रस्तुत करें। गलत/फर्जी जानकारी प्रस्तुत करना एक अयोग्यता होगी तथा ओएनजीसी ऐसी गलत/फर्जी जानकारी प्रस्तुत करने के परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(घ) पंजीकृत आवेदक द्वारा प्रदान की गई कोई भी सूचना गलत अथवा ग्राह्यता मानदंडों के अनुरूप नहीं पाई जाने की स्थिति में उसकी अभ्यर्थिता भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में अथवा भर्ती या नियुक्ति के पश्चात रद्द किए जाने की भागी होगी।

(ङ) ऑनलाइन आवेदन में घोषित डाक पता/संवर्ग/विषय वर्ग में परिवर्तन हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(च) अभ्यर्थियों को अपने ओएनजीसी पंजीकरण की पर्ची, प्रवेश पत्र तथा साक्षात्कार कॉल लेटर की प्रति भावी संदर्भ के लिए संभाल कर रखने चाहिए। उसके प्रिंटआउट में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। पंजीकरण की पर्ची सहित कोई भी दस्तावेज ओएनजीसी को भेजे जाने की जरूरत नहीं है, जब तक कि ऐसा करने का स्पष्ट निर्देश नहीं दिया जाता है।

(छ) सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी सेवा में योजित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के दिन अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं लाने पर अभ्यर्थी को एक अन्डरटेकिंग देना होगा कि वह एक निर्धारित समय के अन्दर उपर्युक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र जमा कर देगा या ओएनजीसी में चयनित होने पर अपनी वर्तमान कंपनी/संस्था से नियमपूर्वक रिलीज होकर ज्वाइन करेगा।

(ज) ओएनजीसी के विभागीय अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रपत्र में उपयुक्त फील्ड में ओएनजीसी का अपना सीपीएफ नंबर भरना सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें असफल रहने पर उनका संवीक्षण/विचार ओएनजीसी के विभागीय अभ्यर्थी के रूप में नहीं पुनश्च नहीं किया जाएगा। ओएनजीसी के विभागीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी, यदि वे चयन प्रक्रिया में अर्ह पाए जाते हैं।

(झ) अभ्यर्थी से एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, सबसे हाल का/नवीनतम (वर्तमान) आवेदन अंतिम आवेदन माना जाएगा।

(ञ) विवाद, यदि कोई, का निपटारा केवल दिल्ली स्थित न्यायालय में किया जाएगा।

(ट) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के लिए विशिष्ट आईडी/साक्षात्कार कॉल लेटर जारी करने मात्र का यह अभिप्राय नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता ओएनजीसी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। ओएनजीसी साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी का नाम लघुसूचीबद्ध करने के पश्चात ही मूल दस्तावेजों के संदर्भ में ग्राह्यता शर्तों का सत्यापन आरंभ करता है।

(ठ) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके द्वारा ओएनजीसी की कर्मचारियो की चिकित्सा परीक्षा नियमावली, 1996 के अधीन निर्धारित मानकों के अनुसार कम्पनी की चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त के अधीन होगी। नियमावली का विस्तृत विवरण ओएनजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तथापि अभ्यर्थियों के हित में, कुछ प्रमुख बिन्दु यहां नीचे वर्णित किए जा रहे हैं :

क्रं.सं.	चिकित्सा अवस्था	टिप्पणी
1.	पूर्ण अथवा आंशिक रंग अंधता	केवल वित्त एवं लेखा अधिकारी के पद के लिए स्वीकार्य। **मरीन ऑफीसर के पद हेतु अस्वीकार्य।**
2.	मायोपिया की कुल मात्रा (सिलेंडर सहित) – 4.00 डी से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा हाइपरमेट्रोपिया की कुल मात्रा (सिलेंडर सहित) + 4.00 डी से अधिक नहीं होनी चाहिए	विज्ञापित सभी पदों के लिए स्वीकार्य
3.	20 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियो के संबंध में, मायोपिया की कुल मात्रा (सिलेंडर सहित) – 6.00 डी तक सीमित तथा हाइपरमेट्रोपिया की कुल मात्रा (सिलेंडर सहित) + 6.00 डी तक सीमित (परंतु शर्त यह है कि विट्रेअस या रेटिना में कोई ह्रासी परिवर्तन नहीं है तथा रोग बढ़ने की संभावना नहीं है)	केवल वित्त एवं लेखा अधिकारी के पद हेतु स्वीकार्य। **मरीन ऑफीसर के पद हेतु अस्वीकार्य।**
4.	जन्मजात रात्रि अंधता	स्वीकार्य नहीं
सुधार के साथ कॉन्टैक्ट लेन्सेज का उपयोग और इन्ट्राऑक्यूलर प्रत्यारोपण रोजगार के लिए प्रतिबंध नहीं है, परंतु शर्त यह है कि निर्धारित मानक पूरे किए गए हैं।		

(ड) चुने गए अभ्यर्थी भारत अथवा विदेश में कहीं भी नियुक्त किए जा सकते हैं।

(ढ) कम्पनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट **www.ongcindia.com** देख सकते हैं।

(ण) निर्धारित ग्राह्यता मानदंडों की पूर्ति नहीं करते पाए जाने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा चयन के पश्चात अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। फर्जी/गलत जानकारी प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा चयन के पश्चात अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

(त) किसी भी रूप में पक्ष प्रचार अथवा चयन/भर्ती प्रक्रिया से जुड़े पदाधिकारियों को प्रभावित करने के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी विवाद की स्थिति में ओएनजीसी प्रबंधन का निर्णय अंतिम तथा सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।

(थ) अभ्यर्थियों को किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले अनैतिक विज्ञापनों का जवाब नहीं देने की भी सलाह दी जाती है। इस संबंध में संचार/विज्ञापन की प्रामाणिकता के लिए अभ्यर्थी ओएनजीसी की वेबसाइट **www.ongcindia.com** पर जांच कर सकते हैं।

(द) यह नोट करें कि ओएनजीसी पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के भुगतान की मांग नहीं करती है।

महाप्रबंधक (एचआर) – प्रभारी कार्पोरेट भर्ती
ओएनजीसी, तेल भवन, देहरादून

''ओएनजीसी किसी भी प्रकार की छपाई त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यदि कोई हो''। किसी भी प्रकार की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।